राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 809 व 810/2014/..जिला–बाड़मेर..

उनवान– मैसर्स विश्वकर्मा हार्डवेयर स्टोर, बाड़मेर बनाम् स.वा.क.अ., घट–तृतीय, वृत्त–बाड़मेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ~~मय~~ इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.2015		

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक **29.04.2014,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38 (4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें स.वा.क.अ., घट–तृतीय, वृत्त–बाड़मेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की **धारा 26, 55 व 61 के तहत् क्रमशः** निर्धारण वर्ष **2008–09 व 2009–10** के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक **07.02.2014** में कायम की गयी क्रमशः वसूली योग्य मांग राशियों में से **रू.3,04,545/– व रू.40,866/–**पर रोक लगाने से इन्कार करने को विवादित कर, क्रमशः उक्त राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री श्रवण कुमार ओसापा व विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु दिनांक 16.01.2015 को उपस्थित हुये। रोक आवेदन पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी व दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि प्रकरणों में जारी इन्वासेज के सत्यापन व उक्त में इन्द्राज रांशि के क्रेता व विक्रेता द्वारा संद्धरित नियमित बहीयातों में अंतर होने का महत्वपूर्ण व विधिक बिन्दु अन्तवर्लित है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। अपीलीय अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

19.1.2015

(मदन लाल)

सदस्य